एम. डी., यू. पी. राज्य कृषि-औद्योगिक निगम लिमिटेड।

बनाम

महेंद्र कुमार मिश्रा एवं अन्य।

12 अक्टूबर, 2007

[तरुण चटरजी और दलवीर भण्डारी जे जे.]

सेवा कानून-सेवा समाप्ती की चुनौती- उच्च न्यायालय से बर्खास्तगी परिणामी लाभों के साथ बहाली का आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःग बहाली का आदेश न्यायोचित है।

प्रह्लाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2004] 4 एस. सी. सी. 113, पर निर्भर किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय 2007 की सिविल अपील सं. 4889।

2001 के डब्ल्यू. पी. सं. 7 (एस/एस) में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 19.1.2006 से।

अपीलार्थी के लिए राजेश।

उत्तरदाताओं के लिए सुनील कुमार जैन, चंद्र प्रकाश पांडे, निखिल मजीठिया, प्रशांत कुमार, अर्जुन (एपी और जे चैंबर्स के लिए)।

न्यायालय का निर्णय तरुण चटर्जी, जे. द्वारा दिया गया।

1.देरी को माफ कर दिया गया।

2.अनुमति प्रदान की गई।

3. 2000 के डब्ल्यू. पी. संख्या 7150 (एस/एस) और 2001 के डब्ल्यू. पी. संख्या 7 (एस/एस) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश के 10 जनवरी, 2006 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील का निर्देश दिया गया है।

4. रिट याचिकाओं में, रिट याचिकाकर्ता ने 11 दिसंबर, 2000 के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उन्हें 442 एम. डी., यू. पी. राज्य कृषि-औद्योगिक निगम से खारिज कर दिया गया था। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को निम्नलिखित तरीके से अनुमति दी हैः

"उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 8 में निहित विपरीत पक्ष संख्या 3 द्वारा पारित दिनांकित आदेश को रद्द करते हुए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक आदेश/निर्देश जारी किया जाता है। चूंकि 2001 की रिट याचिका संख्या 7 (एस/एस) को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, इसलिए 2000 की रिट याचिका संख्या 7150 में कोई राहत नहीं

दी जा रही है।याचिकाकर्ता को विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 25.8.2000 के आदेश के अनुसार उसकी सेवाओं पर बहाल किया जाएगा और याचिकाकर्ता को वेतन आदि के बकाया सहित सभी परिणामी लाभ दिए जा सकते हैं।

5. इस अपील में शामिल प्रश्न प्रहलाद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2004] 4 एस. सी. सी. 113 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया है। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को देखते हुए और चूंकि मामला उपरोक्त निर्णय के दायरे में आता है, इसलिए इस अपील को खारिज किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

6. हमें सूचित किया जाता है कि प्रतिवादी को पहले ही बहाल कर दिया गया है और उच्च न्यायालय के आदेश को पहले ही लागू कर दिया गया है और बकाया मजदूरी वापस कर दी गई है। इस निर्णय और आदेश को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के मामले में एक पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा।

के. के. टी.

अपील की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।